प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 26 मई, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से अयोध्या मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 24 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **अयोध्या मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 24 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 25,71,34,000/- (रूपये पच्चीस करोड़ इकहत्तर लाख चौंतीस हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	21587/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2026-27	18-05-2026
2	21780/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2026-27	20-05-2026
3	21842/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2026-27	21-05-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-3 बाराबंकी	देवा में देवा सददीपुर मार्ग (अ0जि0जमा0) (लम्बाई 9.750 कि0मी0) के किमी 0.000 से 9.750 तक में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	131 /2025/आई/905925/ 23-1-25/001-23-1002(002)/67/2025 -दिनांक-12-03-2025	2551.31 2551.31 1040.88 87.57 2463.74	1970.27	493.47	222.00
2	नि.ख.-3 बाराबंकी	जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी असैनी बंकी में असैनी तिराहा से राष्ट्रीय राज्य मार्ग सं0 27 किमी 0.000 से 0.900 तक असैनी मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं आर0सी0सी0 डिवाइडर का निर्माण कार्य।	186/2025/आई/924 116/23-1-25/001-23-1002(002)/103/202 5-दिनांक-31-03-2025	433.28 433.28 149.17 73.47 359.81	290.00	69.81	50.00
3	नि.ख.-3 बाराबंकी	विकास खण्ड निन्दूरा में गुलराही सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	105.88 105.88 63.85 10.80 95.08	4.94	90.14	75.00
4	नि.ख.-3 बाराबंकी	निन्दूरा में जमुआ से बरईनपुरवा होते हुये सीतापुर बार्डर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	95.92 95.92 52.36 10.36 85.56	4.47	81.09	70.00
5	नि.ख.-4 अयोध्या	खड़भड़िया अहिरन सुबंश सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-2 से दुलहिन का पुरवा होते हुए भिटारी गांव तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	101.35 101.35 55.20 1.12 100.23	4.72	95.51	88.65
6	नि.ख.-4 अयोध्या	खड़भड़िया अहिरन सुबंश सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-5 से पूरे गोशाई सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	81.81 81.81 38.63 1.73 80.08	3.81	76.27	70.74
7	नि.ख.-4 अयोध्या	चिखड़ी चिलबिली सम्पर्क मार्ग से पूरे तिवारी का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	120 /2026/आई/125236 7/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	44.71 44.71 22.69 0.94 43.77	2.08	41.69	38.66

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
8	नि.ख.-4 अयोध्या	बीकापुर मलेथू इनायतनगर सम्पर्क मार्ग के किमी.13 से पराग पंडित का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	49.77 49.77 32.56 1.25 48.52	2.32	46.20	42.83
9	नि.ख.-4 अयोध्या	हरिनाथपुर सम्पर्क मार्ग से पुरे दुर्गापुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	43.37 43.37 15.73 0.96 42.41	2.02	40.39	37.45
10	नि.ख.-4 अयोध्या	प्रभातनगर शाहगंज किमी0 7 से बहोरी का पुरवा तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण काकार्य	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	72.98 72.98 31.34 1.50 71.48	3.40	68.08	63.14
11	नि.ख.-4 अयोध्या	कुचेरा कुरावन गद्दोपुर किमी-3 से अलीपुर खजुरी से सहसान तिवारी का पुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	85.83 85.83 41.73 1.77 84.06	4.00	80.06	74.25
12	नि.ख.-4 अयोध्या	अमरगंज सरौली कलवारी गहनाग रायपट्टी मार्ग के किमी-04 से दांयें पूरे बैजनाथ सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	54.41 54.41 26.08 1.44 52.97	2.54	50.43	46.75
13	नि.ख.-4 अयोध्या	बिड़हार सम्पर्क मार्ग से नया पुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	122.81 122.81 51.48 1.07 121.74	5.73	116.01	64.62
14	नि.ख.-4 अयोध्या	शुजागंज कैथी मार्ग के किमी-04 से कुर्मी हरौरा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	75.08 75.08 31.12 1.06 74.02	3.50	70.52	65.43
15	नि.ख.-4 अयोध्या	बिगनियापुल से अखैयामठ सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	120 /2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	87.44 87.44 42.14 2.52 84.92	4.08	80.84	74.92
16	प्रा.ख. अयोध्या	फिरोजपुर पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग से कुशमहा गांव के कुटिया पुरवा होते हुए दर्शन नगर भरतकुण्ड	01/2026/आई/1194484/23-1-26/001-23-1002(002)/171/2025-दिनांक-05-01-2026	1808.78 1763.32 434.06 0.00 1763.32	178.94	1584.38	361.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		मार्ग तक दो लेन मार्ग का निर्माण कार्य।					
17	प्रा.ख. अयोध्या	पाठक का पुरवा (पावर हाउस) से मेडिकल कालेज तक दो लेन मार्ग के निर्माण कार्य।	01/2026/आई/1194484/23-1-26/001-23-1002(002)/171/2025-दिनांक-05-01-2026	926.86 921.58 386.13 0.00 921.58	91.22	830.36	278.06
18	प्रा.ख. अयोध्या	जनपद अयोध्या में एन0एच0-27 से गवर्नमेन्ट गर्ल्स पॉलीटेक्निक से अयोध्या रिंग रोड तक चार लेन में मार्ग का निर्माण कार्य (चैनेज 0.000 से 4.000 तक) प्रथम चरण-चैनेज 0.000 से 0.700 तक।	203/2026/आई/1279337/23-1-26/001-23-1002(002)/169/2026-दिनांक-25-03-2026	2490.02 2490.02 596.80 6.50 2483.52	246.89	2236.63	373.50
19	नि.ख. अमेठी	रामनगर रा0ग्रा0 दमनपुर) सम्पर्क मार्ग तक नवनिर्माण का कार्य	120/2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	167.60 167.60 127.52 0.13 167.47	7.81	159.66	84.00
20	नि.ख. अमेठी	सादीपुर (सदलपुर) सम्पर्क मार्ग तक नवनिर्माण कार्य।	120/2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	82.58 82.58 61.59 0.12 82.46	3.85	78.61	62.00
21	नि.ख.-3 बाराबंकी	जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सूरतगंज में मोहम्मदपुर खाला सैलख जलालपुर (अन्य जिला मार्ग) किमी 14 से गोडियनपुरवा ब्रम्हापुरवा मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	118/2026/आई/1252972/23-1-26/001-23-1002(002)/81/2026-दिनांक-26-02-2026	98.64 98.64 53.59 13.30 85.34	4.60	80.74	70.00
22	नि.ख.-3 बाराबंकी	जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सूरतगंज में मटेहना मार्ग से जयसिंहपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	118/2026/आई/1252972/23-1-26/001-23-1002(002)/81/2026-दिनांक-26-02-2026	96.11 96.11 53.92 11.17 84.94	4.48	80.46	70.00
23	नि.ख.-4 अयोध्या	बहुबरा कसारी सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-2 से बनियापुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	120/2026/आई/1252367/23-1-26/001-23-1002(002)/84/2026-दिनांक-27-02-2026	77.70 77.70 37.18 1.08 76.62	3.62	73.00	67.74

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
24	प्रा.ख. अमेठी	अमेठी किठावर अन्य जिला मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2024/आई/516897/ 23-1-24/001-23-1002(002)/52/2024 -दिनांक-12-03-2024	3619.55 3619.55 1887.54 694.66 2924.89	2433.99	490.90	120.00
						कुल योग-	2571.34

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 25,71,34,000/- (रूपये पच्चीस करोड़ इकहत्तर लाख चौंतीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव।

संख्या-467/2026/आई/1343290(1)/23-1-26/001-23-1002(002)/287/2026, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।